न्यायालय अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी,दाउदनगर,औरंगाबाद।

दाउदनगर थाना कांड संख्या–232 / 2021

जी0आर0संख्या–362 / 2021

28–07–21 आवेदक अभियुक्तगण दीपु कुमार, रितेश कुमार एवं पिन्टु कुमार की ओर से विद्वान अधिवक्ता विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति पत्र,कोविड–19 जांच की छाया प्रति,वकालतनामा एवं जमानत आवेदन सह आत्मसमर्पण करते है। सूचक की ओर से संधि पत्र विद्वान अधिवक्ता विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दाखिल करते हैं। जिसकी प्रति सहायक अभियोजन पदाधिकारी को दिया गया।

वाद पुकार पर आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से निवेदन करते हैं कि प्रार्थीगण बिल्कुल ही निर्दोष है तथा किसी प्रकार के घटना कारित नहीं किया है। प्रार्थीगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावे कोई अन्य जमानत का आवेदन किसी अन्य न्यायालय में न दाखिल किया है। प्रार्थीगण के उपर दर्ज की गयी प्राथमिकी में दर्ज की गई भा0दं0वि0 की धारा 307 को छोड़कर अन्य धाराएं जमानतीय है। केवल मुकदमें को गंभीर बनाने के उद्देश्य से लगाया गया प्रतीत होता है। प्रार्थीगण आपस में न्यायालय के बाहर सुलह कर लिया है तथा संधि पत्र के साथ आत्मसमर्पण सह जमानत का आवेदन दाखिल करते हैं। आवेदक अभियुक्तगण को किसी भी धन राशि के जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर मुक्त करने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तगण के खिलाफ भा0दं0वि0 की धारा 147,341,323,307,504,506 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उभय पक्षों में सुलह हो गया है। सूचक न्यायालय में उपस्थित होकर संधि की बात स्वीकार किया है। विद्वान अधिवक्ता महोदय का कथन है कि मामूली चोट लगा है। निम्न आधार पर (1) संधि के आधार पर (2) मामूली चोट लगा था अन्य धाराएं जमानतीय प्रकृति की है। अतः मो0 10000 का 2 का बंध पत्र दाखिल करने पर मुक्त करने का आदेश मंजूर किया जाता है।

लेखापित

प्र0अनु0न्या0दण्डा0